सत्यमेव जयते

सप्तदश बिहार विधान सभा

प्रत्यायुक्त विधान समिति

का

विशेष प्रतिवेदन

(सं०-3)

(शिक्षा विभाग)

(दिनांक 13-07-2023 ई० को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा प्रकाशित

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. प्रत्यायुक्त विधान समिति के सदस्यों की सूची	क
2. प्रत्यायुक्त विधान समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन	1–9
5. परिशिष्ट	10–42

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति (वर्ष 2023–2024) के सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री अजीत शर्मा स०वि०स०

सदस्यगण

1. डॉ० सुनील कुमार स०वि०स०
2. श्री राजू कुमार सिंह स०वि०स०
3. श्री सुरेन्द्र मेहता स०वि०स०
4. श्री आबिदुर रहमान स०वि०स०
5. श्री अनिरूद्ध कुमार स०वि०स०
6. श्री प्रेम शंकर प्रसाद स०वि०स०
7. श्रीमती प्रतिमा कुमारी स०वि०स०
8. श्री रामबली सिंह यादव स०वि०स०
9. श्री नितिन नवीन स०वि०स०
10. श्री अरूण कुमार सिन्हा स०वि०स०
11. श्रीमती नीतु कुमारी स०वि०स०
12. श्रीमती शालिनी मिश्रा स०वि०स०
13. श्रीमती मीना कुमारी स०वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

1. श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2. श्री राजीव कुमार	निदेशक
3. श्री अमलेन्द्र प्रसाद महतो	उप–सचिव
4. श्री सुशील कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री पंकज कुमार राय	सहायक
6. श्री संजय कुमार–2	सहायक

प्राक्कथन

राज्य की अर्थव्यवस्था इस बात पर काफी हद तक निर्भर करती है कि उसके नागरिक राज्य से बाहर कमाई करने जाते हैं या खर्च करने । देखा जा रहा है कि राज्य के अधिकांश बच्चे बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । ऐसे-ऐसे लोग अपने बच्चों को लेकर दिल्ली, कोटा आदि जगहों पर जाते हैं जिनके तन पर पर्याप्त वस्त्र भी नहीं हैं । उनकी नजरों के सामने उनके बच्चे का भविष्य रहता है जिसके कारण वे चाहते हैं कि उनकी जो विपन्न स्थिति है उस विपन्नता की स्थिति में कुछ और इजाफा भले हो जाय लेकिन उनके बच्चे का भविष्य सुधर जाय ।

राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के विलंबित होने का ही यह प्रतिफल है कि विपन्न से विपन्न व्यक्ति भी अपने बच्चे को बाहर शिक्षा दिलाने के लिए विवश है । समिति के संज्ञान में जब यह बात आई तो समिति ने मगध विश्वविद्यालय में यू0जी0, पी0जी और पी0एच0डी0 के सत्रों की समीक्षा कर एक विशेष प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया । उसी क्रम में बिहार विधान की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 208 के तहत यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय की ओर से जो सहयोग दिया गया है समिति उसके लिए उन्हें धन्यवाद देती है ।

बिहार विधान सभा की समिति शाखा के कर्मियों ने जो सहयोग और परिश्रम किया है उसके लिए समिति उन्हें धन्यवाद देती है ।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समय-समय पर श्री श्रीरमण सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय से सहयोग प्राप्त किया गया है । उनके सहयोग के लिये समिति उन्हें धन्यवाद देती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन के बिना इस प्रतिवेदन को तैयार करना संभव नहीं था इसलिए मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं ।

08/06/2023

(अजीत शर्मा)
सभापति,
प्रत्यायुक्त विधान समिति,
बिहार विधान सभा ।

प्रतिवेदन

किसी भी देश के विकास का आकलन वहां की शिक्षा की स्थिति को देखकर किया जा सकता है । शिक्षा न सिर्फ लोगों में जागृति पैदा करती है बल्कि उन्हें उनकी पूरी जीवनशैली को व्यवस्थित करने के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है । प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था गुरूकुल परंपरा के तहत थी । उस समय विभिन्न गुरूओं के आश्रम हुआ करते थे । शिक्षा की अनिवार्यता के कारण बाद के कालखंड में विश्वविद्यालय की स्थापना होने लगी । पहले विश्वविद्यालय शासकों द्वारा बनाये जाते थे जिनका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है । जो वास्तविक मायने में विश्वविद्यालय था । जिस समय आवागमन के साधन की भारी कठिनाई थी उस समय भी नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे । कालांतर में विश्वविद्यालय व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ । देश जब आजाद हुआ, गणतंत्र बना तो केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने-अपने विश्वविद्यालय की स्थापना की । उन्हीं पुराने विश्वविद्यालयों में एक मगध विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई । मगध विश्वविद्यालय की आधारशिला 1964 में तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति एवं उद्‌भट विद्वान डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा रखी गई । मगध विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर विश्वविद्यालय का जो परिचय दिया गया है वह इस प्रकार है :

Magadh University A State University of Bihar With for center excellence since 1962. मगध विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र कुछ वर्षों पूर्व तक राज्य में सबसे बड़ा था, कमोबेश आज भी वही स्थिति है ।

शिक्षा विभाग के साथ विचार-विमर्श के दौरान समिति के संज्ञान में विश्वविद्यालयों में सत्र के विलंब से चलने और उसके दुष्प्रभावों से विद्यार्थियों के प्रभावित होने की बात सामने आई । विद्यार्थी देश के भविष्य हैं और भविष्य पर यदि कुप्रभाव पड़ रहा हो तो उसकी चिंता

करना स्वाभाविक है । समिति ने भी इस दिशा में चिंता की और महसूस किया कि सत्र के नियमितीकरण की दिशा में समिति की तरफ से अवश्य ही एक पहल होनी चाहिए । राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का पूरे तौर से सम्परीक्षण किये जाने में बहुत अधिक समय लगने की संभावना को देखते हुए समिति ने मगध विश्वविद्यालय का चयन किया कि यहां जो सत्र, परीक्षाफल अनियमित है उसके कारण क्या हैं और उन्हें कैसे नियमित किया जाय, इस पर विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर विचार-विमर्श किया जाय । इसके लिए समिति ने विभाग से प्रतिवेदन की मांग की (परिशिष्ट-1) । विभाग द्वारा मगध विश्वविद्यालय से प्रतिवेदन की मांग की गई (परिशिष्ट-2) । विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद समिति ने महसूस किया कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति से भी इस पर विमर्श किया जाय । समिति ने कुलपति के साथ दिनांक-08.05.2023 को बैठक निर्धारित की (परिशिष्ट-3) । समिति ने जो बैठक निर्धारित की उसमें निम्नांकित बिंदु पर विचार हुए :

(1) स्नातक (U.G.) एवं स्नातकोत्तर (P.G.) में वर्ष 2010 से अब तक प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों ने नामांकन लिया, उनकी परीक्षाएँ कब आयोजित की गईं और परीक्षाफल कब प्रकाशित हुआ ?

(2) स्नातक (U.G.) एवं स्नातकोत्तर (P.G.) का सत्र ससमय हो इसके लिए कौन जवाबदेह है, सत्र को ससमय कराने के लिए आपके स्तर पर कौन-कौन सी कार्रवाई की गई है?

(3) स्नातक (U.G.) एवं स्नातकोत्तर (P.G.) का परीक्षाफल देश के अन्य विश्वविद्यालयों के सत्र की तुलना में विलम्ब से प्रकाशित हुआ या ससमय ? समिति को सत्रवार विवरण उपलब्ध करायें ।

(4) स्नातक (U.G.) एवं स्नातकोत्तर (P.G.) के ऐसे कितने विद्यार्थी देश/विदेश के विश्वविद्यालयों में

विलम्ब से परीक्षाफल प्रकाशित होने के कारण नामांकन से वंचित हो गए ?

(5) स्नातक (U.G.) एवं स्नातकोत्तर (P.G.) के परीक्षाफल में विलम्ब के कारण कितने विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्टेड तो हुए परंतु नियुक्ति से वंचित हो गए ?

(6) नामांकन एवं नियुक्ति से वंचित होने वाले विद्यार्थियों/अभिभावकों का कोई आवेदन पत्र आपके विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ है या नहीं, अगर प्राप्त हुआ है तो उस पर कौन-सी कार्रवाई कब-कब की गई है ?

(7) शोध (Ph.D) के लिए पी॰जी॰आर॰सी॰ की बैठक कब-कब हुई और विश्वविद्यालय द्वारा बैठक के प्रतिवेदन पर कब सहमति प्रदान की गयी ?

(8) शोध (Ph.D) का रजिस्ट्रेशन लेटर शोधार्थियों को ससमय उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी किसकी है, सत्र ससमय हो इसके लिए कौन जवाबदेह है, सत्र को ससमय कराने के लिए आपके स्तर पर कौन-कौन सी कार्रवाई की गई है ?

(9) इसको स्पष्ट किया जाय कि पी॰जी॰आर॰सी॰ की बैठक दिनांक 09.05.2022 को हुई और उस बैठक से संबंधित मार्गदर्शन की मांग 17.10.2022 को की गई । कुलपति का मार्गदर्शन संबंधी पत्र पर दिनांक-24.09.2022 को हस्ताक्षर है जिसे लगभग एक महीने के बाद दिनांक 17.10.2022 को निर्गत किया गया है । इस पर आपका क्या कहना है ?

- समिति ने उपर्युक्त बिंदुओं पर विश्वविद्यालय से प्रतिवेदन वर्ष 2010 से मांगा था लेकिन प्रतिवेदन वर्ष 2020 और उसके बाद के सत्रों के विलम्ब के कारणों का उल्लेख करते हुए दिया गया । विमर्श के दौरान अन्य बिंदुओं के साथ-साथ निम्नांकित बिंदुओं पर भी समिति द्वारा पृच्छा की गई :
- परीक्षा का ससमय संचालन करने के लिए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होती है । परीक्षा नियंत्रक द्वारा क्या-क्या पहल की गयी है ?
- पहले की परीक्षाओं का रिजल्ट तीन-तीन, चार-चार महीने के बाद प्रकाशित हुआ है तो एक माह के अंदर रिजल्ट निकाले जाने के लिए क्या कोई नई तकनीक/आधारभूत संरचना विकसित की गयी है ?
- वर्ष 2021 के पूर्व के Ph.D के शोधार्थियों को रजिस्ट्रेशन लेटर मिला या नहीं ?
- स्नातकोत्तर में सत्र 2021-23, 2022-24 एवं 2023-25 के लिए एडमिशन नहीं हुआ है । इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं ? मगध विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बच्चे यदि बाहर जाने के लिए विवश हुए हैं और उन पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ा है तो इसकी जिम्मेवारी किनकी बनती है ?
- माइग्रेशन या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट सहित अन्य प्रमाण-पत्रों की कॉपी विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन, ऑनलाईन भुगतान एवं बाई-पोस्ट विद्यार्थियों तक पहुँचाने की व्यवस्था की गयी है या नहीं ?

उपर्युक्त बिंदुओं पर विचार-विमर्श करने के क्रम में जो प्रतिवेदन समिति को प्राप्त हुआ उसमें सत्र विलंब के मूल में कोविड-19 का दुष्प्रभाव, स्टेट विजलेंस यूनिट द्वारा जारी अनुसंधान एवं तत्कालीन कुलपति एवं प्रति उपकुलपति की शिथिलता को कारण बताया गया । ये कारण परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय के पत्रांक-275/23, दिनांक-16.02.2023 द्वारा समर्पित पत्र में बताये गये (परिशिष्ट-4) । समिति ने जब परीक्षा नियंत्रक के पत्र का गहन रूप से अध्ययन किया तो पाया कि सत्र विलंबित होने के लिए किसी एक

व्यक्ति की जवाबदेही निर्धारित करना कठिन है । मगध विश्वविद्यालय के पूरे सिस्टम को ही अगर जवाबदेह माना जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

मगध विश्वविद्यालय में कुलपति हैं, प्रभारी कुलपति हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, विद्यार्थी हैं परंतु परीक्षाएं और उनका परीक्षाफल ससमय नहीं है । प्रतिवेदन में यह कहा गया कि परीक्षा पूरी होने के एक माह के अंदर परीक्षाफल निकाला जायेगा लेकिन पूर्व परीक्षाओं के परीक्षाफल की जो अवधि प्रतिवेदन में अंकित है वह परीक्षा लेने के तीन-तीन माह, चार-चार माह के बाद की है ।

मगध विश्वविद्यालय की दुर्दशा का आलम यह है कि स्नातकोत्तर में किसी भी विभाग के लिए 2021-23, 2022-24 एवं 2023-25 के सत्रों के लिए नामांकन ही नहीं हुआ है ।

विश्वविद्यालय की इस कार्य प्रणाली ने इस राज्य के विद्यार्थियों का तो अहित किया ही है, राज्य की आर्थिक स्थिति को भी चरमरा देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है ।

मगध विश्वविद्यालय का वर्तमान में संचालन The Bihar State Universities Act, 1976 के अधिनियम के तहत हो रहा है ।

The Bihar State Universities Act, की धारा-4 निम्न प्रकार है (परिशिष्ट-5) :

4. There shall be the following purposes and powers of the University :-

(1) (a) to provide for imparting instruction in such branches of learning as the University may think fit including professional studies and technology; and

(b) to provide for research and for the advancement and dissemination of knowledge.

(2) to conduct examinations and to grant and confer degrees, diploma, cerfiticate and other academic distinctions to and upon persons who-

(a) have pursued an approved course of study in the University and passed the examination of the University,

under the condititons laid down in the Statutes, the Ordinances or the Regulation;

(b) are teachers, librarians and laboratory assistants in educational institutions or any other persons under such conditions as may be prescribed in the Statutes, the Ordinances and the Regulations and have passed the examination of the University under like conditions; or

(c) have carried on independent research under conditions laid down in the Statutes, the Ordinances or the Regulation:

(3) to confer honorary degrees or other distinctions upon person approved in the manner prescribed in the Statutes;

(4) to provide such lectures and instructions for and to grant such diplomas to, persons not being members of the University, as the University may determine;

(5) to inspect all colleges, University departments and hostels;

(6) to co-operate with other Universities and authorities in such manner

विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है उससे स्पष्ट है कि प्रोफेशनल, टेक्निकल, रिसर्च ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ-साथ परीक्षा लेना और डिग्री देना उसका कर्त्तव्य है । Purposes and powers of the University 4 (2) में स्पष्ट प्रावधान के बाद भी परीक्षा लेने में वर्षों की शिथिलता और यहां तक कि नामांकन भी नहीं लिया जाना विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिह्न खड़ा करती है । The Bihar State Universities Act की धारा 30 (2) निम्न प्रकार है (परिशिष्ट-6) :

Results of examinations shall be published within sixty days of the completion of the concerned examination, which may be extended to a period beyond sixty days for reasons to be recorded in writing.

इन दोनों ही प्रावधानों के अतिरिक्त सत्र विलंब को देखते हुए राज्य सरकार ने समय-समय पर समिति बनाकर तथा विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के साथ बैठकें कर सत्रों को नियमित करने पर बल दिया है लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय की कार्यशैली में कोई फर्क नहीं आया है । दिनांक-08.05.2023 को समिति की बैठक में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति भी सम्मिलित हुए थे । जब विभिन्न बिंदुओं पर समिति ने उनसे पूछा तो उन्होंने जो उत्तर दिया उसमें इस बात पर बल दिया गया कि परीक्षा को नियंत्रित करने, समय पर आयोजित करने एवं परीक्षाफल समय पर प्रकाशित करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति एवं संकल्प की आवश्यकता है ।

समिति ने उनसे यह जानना भी चाहा कि नामांकन नहीं होने के कारण जिन विद्यार्थियों को बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है इससे उन पर एवं उनके अभिभावकों पर जो आर्थिक भार पड़ रहा है उसके लिए विश्वविद्यालय जवाबदेह है या नहीं ? इस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि यह विश्वविद्यालय की जवाबदेही है । समिति ने यह भी जानना चाहा कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनका प्रतियोगिता परीक्षा में सेलेक्शन तो हो गया परंतु सत्र नियमित नहीं रहने एवं परीक्षा फल ससमय प्रकाशित नहीं होने के कारण वे चयन से वंचित हो गये इस पर भी कुलपति ने खेद व्यक्त किया और कहा कि इसका डाटा तो उपलब्ध नहीं है परंतु ऐसा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

कुलपति ने बैठक के दौरान समिति को पुरजोर शब्दों में यह आश्वस्त किया कि परीक्षाएं समय पर ली जाएंगी, उनका परीक्षाफल समय पर प्रकाशित होगा और सत्रों को नियमित कर दिया जाएगा (परिशिष्ट-7) ।

उपर्युक्त सभी बिंदुओं के आधार पर समिति निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुंचती है :

निष्कर्ष

राज्य के विश्वविद्यालयों का संचालन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हो इसे सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है । समिति मानती है कि मगध विश्वविद्यालय बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का अनुपालन नहीं कर रहा है । लोक कल्याणकारी राज्य में कोई भी स्वायत्तता इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वह राज्य के विद्यार्थियों के भविष्य से खेल सके । सरकार स्वायत्तता के नाम पर विश्वविद्यालयों की मनमानी की तरफ से जो आंखें मूंद लेती हैं उसे समिति उचित नहीं मानती है । समिति यह महसूस करती है कि सरकार को विद्यार्थियों के भविष्य के मामले में कठोर होना चाहिए । यदि किसी विश्वविद्यालय में सत्र नियमित नहीं है तो उसे उस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तंत्र के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए । विश्वविद्यालय दो विभागों में विभक्त होता है, एक शैक्षणिक और दूसरा प्रशासनिक । सत्रों का नियमित संचालन, परीक्षाएं नियमित संचालित होना और परीक्षाफल का ससमय प्रकाशन यह प्रशासनिक विषय है । विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन, भत्ता एवं प्रशासनिक तंत्र पर जो व्यय होता है वह राज्य के कोष से होता है फिर भी वे यदि अपने कर्त्तव्य निर्वहन में विफल होते हैं तो उन पर सरकार को तीक्ष्ण दृष्टि रखने की आवश्यकता है ।

अत: समिति निम्नांकित अनुशंसाएं करती है :

अनुशंसाएं

(1) सरकार के स्तर पर एक स्थाई समिति गठित हो जो मगध विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों में सत्र एवं परीक्षा संचालन तथा परीक्षाफल के ससमय प्रकाशन का अनुश्रवण करे ।

(2) कोई भी सत्र, उसकी परीक्षा तथा परीक्षाफल एक महीने से अधिक विलंबित हो तो उपर्युक्त समिति उसकी तत्काल समीक्षा कर समुचित कार्रवाई हेतु सरकार को प्रतिवेदित करे ।

(3) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाय ।

08/06/2023

(अजीत शर्मा)

सभापति,

प्रत्यायुक्त विधान समिति

बिहार विधान सभा।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-प्र०वि०स०-25/21-3070 /वि०स० ।

प्रेषक,

राजीव कुमार,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 28/11/2022

विषयः- विशेष प्रतिवेदन हेतु उत्तर उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक-18.11.2022 की बैठक में समिति ने निर्णय लिया है कि राज्य के विश्वविद्यालय में सत्र के नियमित नहीं रहने के कारण राज्य के विद्यार्थी देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में नामांकन से तो वंचित हो ही जाते हैं, एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सम्मिलित नहीं हो पाते हैं इस समस्या का निदान कैसे हो और अद्यतन स्थिति क्या है, इस पर एक विशेष प्रतिवेदन तैयार कर सदन में प्रस्तुत किया जाय । इसी क्रम में समिति ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से निम्नांकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन की अपेक्षा की है:-

1. स्नातक (U.G) का सत्र कब तक अद्यतन है ? कौन सा सत्र विलंबित है और विलंब का कारण क्या है ?
2. स्नातकोत्तर (P.G) का सत्र कब तक अद्यतन है ? कौन सा सत्र विलंबित है और विलंब का कारण क्या है ?
3. शोध (Ph.D) का सत्र कब तक अद्यतन है ? शोध के किस-किस विषय और किस-किस सत्र का रजिस्ट्रेशन लेटर शोधार्थियों को मिल चुका है ? यदि रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं दिया गया है तो विलम्ब का कारण क्या है ?

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर वांछित प्रतिवेदन बारह प्रतियों में समिति के विचारार्थ सभा-सचिवालय को पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
25/11/22
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
25-11-22

बिहार विधान सभा, सचिवालय

पत्र संख्या-प्र०वि०स०-25/21- 1031 /वि०स० ।

प्रेषक,

अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 21/03/2023

विषय- संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि उपविधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक-28.02.2023 को हुई बैठक निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की अपेक्षा की है:-

(1) विभाग के अंतर्गत कितने बोर्ड/निगम गठित हैं, किस अधिनियम/नियम के तहत गठित हैं, निगम/बोर्ड का नाम गठन संबंधी अधिसूचना और संबंधित अधिनियम/नियम का विस्तृत ब्यौरा ।

(2) Minority का दर्जा प्राप्त स्कूलों में आर०टी०ई० (R.T.E) लागू नहीं रहने से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो उसकी प्रति ।

(3) मगध विश्वविद्यालय से निम्नांकित जानकारी प्राप्त कर समिति को उपलब्ध करायी जाय:-

(i) स्नातक(U.G) एवं स्नातकोत्तर (P.G) में वर्ष 2010 से अब तक प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों ने नामांकन लिया, उनकी परीक्षाएँ कब आयोजित की गई और परीक्षाफल कब प्रकाशित हुआ ?

(ii) स्नातक (U.G) एवं स्नातकोत्तर (P.G) का सत्र ससमय हो इसके लिए कौन जवाबदेह है, सत्र को ससमय कराने के लिए आपके स्तर पर कौन-कौन सी कार्रवाई की गई है ?

(iii) स्नातक (U.G) एवं स्नातकोत्तर (P.G) का परीक्षाफल देश के अन्य विश्वविद्यालयों के सत्र की तुलना में विलम्ब से प्रकाशित हुआ या ससयम ? सत्रावार विवरण उपलब्ध करायें ।

(iv) स्नातक (U.G) एवं स्नातकोत्तर (P.G) के ऐसे कितने विद्यार्थी देश/विदेश के विश्वविद्यालयों में विलम्ब से परीक्षाफल प्रकाशित होने के कारण नामांकन से वंचित हो गए ?

(v) स्नातक (U.G) एवं स्नातकोत्तर (P.G) के परीक्षाफल में विलम्ब के कारण कितने विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्टेड तो हुए परंतु नियुक्ति से वंचित हो गए ?

(vi) नामांकन एवं नियुक्ति से वंचित होने वाले विद्यार्थियों/अभिभावकों का कोई आवेदन पत्र आपके विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ है या नहीं, अगर प्राप्त हुआ है तो उस पर कौन-सी कार्रवाई कब-कब की गई है ?

(vii) शोध (Ph.D) के लिए पी०जी०आर०सी० की बैठक कब-कब हुई और विश्वविद्यालय द्वारा बैठक के प्रतिवेदन पर कब सहमति प्रदान की गयी ?

(viii) शोध (Ph.D) रजिस्ट्रेशन लेटर शोधार्थियों को ससमय उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी किसकी है, सत्र ससमय हो इसके लिए कौन जवाबदेह है, सत्र को ससमय कराने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कौन-कौन सी कार्रवाई की गई है ?

(ix) वर्ष 2020-23 सत्र के Ph.D शोधार्थियों को रजिस्ट्रेशन लेटर अभी तक मिला है या नहीं, मिला है तो कब और नहीं मिला है तो उसका कारण क्या है ?

(x) वित्तरहित कॉलेजों को अनुदान छात्रों के अनुपात में ही दिया जाता है लेकिन मगध विश्वविद्यालय द्वारा सेशन लेट किये जाने के कारण अपने कैरियर को बचाने के लिए छात्र दूसरे विश्वविद्यालयों में चले गये, जिसके कारण वित्तरहित शिक्षकों को अनुदान नहीं मिल सका । क्या इसका कोई आकलन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है ?

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन बारह प्रतियों में समिति के विचारार्थ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(अमलेन्द्र प्रसाद महतो)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
20.3.23

परिशिष्ट–2

पत्रांक–14/एम 7–279/2009 (अंश)
उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

बिहार विधान सभा सचिवालय
प्राप्ति तिथि: 28/4/23
केन्द्रीय डाक सं०. 5958

प्रेषक,

प्रो० (डॉ0) रेखा कुमारी,
निदेशक, उच्च शिक्षा

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोध गया।

पटना, दिनांक........./....../2023

विषय:– स्नातक (यू०जी०), स्नातकोत्तर (पी०जी०) तथा शोध (पीएच0 डी०) सत्रों एवं अन्य बिन्दुओ के संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:– बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना के पत्रांक–1031 दिनांक–21.03.2023 तथा 1404/वि0स0 दिनांक–21.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना के पत्रांक–1031 दिनांक–21.03.2023 के आलोक में बिहार बिधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति का दिनांक–28.02.2023 को सम्पन्न बैठक में कतिपय बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की अपेक्षा की गयी थी। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–549 दिनांक–29.03.2023 तथा स्मार पत्रांक–619 दिनांक–19.04.2023 के द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसका उतर प्रतिवेदन अभी तक नही उपलब्ध कराने की स्थिति में बिहार विधान सभा सचिवालय को प्रतिवेदन उपलब्ध नही करायी जा सकी है।आपके द्वारा प्रस्तुत मामले में अबतक प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया जाना लापरवाही का द्योतक है।

उल्लेखनीय है कि बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना के पत्रांक–1404 दिनांक–21.04.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा बिहार विधान सभा के पत्रांक–1031 दिनांक–27.03.2023 की कंडिका (3) में अंकित बिन्दुओ पर प्रतिवेदन की मांग पुनः की गयी है।

अतः बिहार विधान सभा सचिवालय, की प्रति संलग्न करते हुए स्मारित करना है कि बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्र की कंडिका– 03 में अपेक्षित बिन्दुओ पर प्रतिवेदन के साथ दिनांक 02.05.2023 को अपराहन 03:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाय। ताकि वांछित प्रतिवेदन से बिहार विधान सभा सचिवालय के प्रत्यायुक्त विधान समिति को उपलब्ध कराया जा सके। विदित हो कि विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभगा के ज्ञापांक–393 दिनांक–27.04.2023 के द्वारा प्रतिवेदन 03.05.2023 को अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

अनु०–यथोक्त।

ह0/–
(रेखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांकः—14 / एम 7–279 / 2009 (अंश) –666 पटना, दिनांक 28/04/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना के पत्रांक–1031 दिनांक–21.03.2023 तथा 1404 दिनांक–21.04.2023 के क्रम में तथा विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को उनके ज्ञापांक–393 दिनांक–27.04.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

28.04.23

(रेखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा

परिशिष्ट-3

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-प्र०वि०स०-25/21- 1404 /वि०स० ।

प्रेषक,

अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ।
कुलपति,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया ।

पटना, दिनांक- 21/04/2023

विषयः- संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उपविधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की दिनांक-08.05.23 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में आपके साथ बिहार विधान सभा के विस्तारित भवन स्थित समिति कक्ष में निर्धारित की गयी है, जिसमें समिति सभा सचिवालय के पत्रांक-149, दिनांक-13.02.2023 द्वारा निर्धारित हुई परंतु स्थगित बैठक में निर्धारित बिंदुओं एवं सभा सचिवालय के पत्रांक-1031, दिनांक-21.03.2023 पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग एवं कुलपति, मगध विश्वविद्यालय के साथ बैठक होगी साथ ही राज्य में निजी विद्यालयों में चल रहे नामांकन में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन किया जा रहा है या नहीं इसके अनुश्रवण के लिये की गयी व्यवस्था पर भी विमर्श करेगी ।

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन बारह प्रतियों में समिति के विचारार्थ सभा-सचिवालय को बैठक के कम से कम पाँच दिन पूर्व उपलब्ध कराने एवं समिति की दिनांक-08.05.23 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

20.04.23

(अमलेन्द्र प्रसाद महतो)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

20-4-23

MAGADH UNIVERSITY

BODH-GAYA – 824234

(Examination Department)

पत्रांक–CEO/225/23 दिनांक 16/02/2023

सेवा में,

श्री राजीव कुमार
उप सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

विषयः पत्रांक–प्र०वि०स०–25/21–149 दिनांक 13/02/2023 के आलोक में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध (Ph. D.) सत्रों के विलम्ब के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, तदनुसार स्थिति स्पष्ट करना है कि मगध विश्वविद्यालय के सभी स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय, तकनीकि व्यवसायिक, व अन्य, साथ ही Ph. D. शोध परीक्षाएँ एवं संबंधित अन्यान्य कार्यकलाप लम्बे समय तक Covid-19 के प्रभाव से ठप रही, साथ ही विश्वविद्यालय में S.V.U. द्वारा जारी अनुसंधान के कारण सभी शैक्षणिक गतिविधिया पुर्णतः प्रभावित रही, मामले के संज्ञान मिलने पर तत्कालीन कुलपति डा० आर०के०सिंह के साथ दिनांक 30 जून 2022 को S.V.U. द्वारा विश्वविद्यालय प्रांगण में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें S.V.U. के वरिष्ट पदाधिकारियों द्वारा तत्कालीन कुलपति को निर्बिघ्न रूप से सभी लम्बित परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा कार्य हेतु निर्देशित की गयी, एवं पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया गया, बावजूद इसके उनके कार्यकाल में सितम्बर – 2022 तक केवल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने के कारण केवल LL.B. की परीक्षा आयोजित करवायी गयी। तत्पश्चात प्रो० (डा०) जवाहर लाल माननीय प्रभारी कुलपति बने जिनके कार्यकाल में भी परीक्षाएं लम्बित रहीं, परीक्षा संबंधित कार्य अवरूद्ध रहें। अन्यान्य कारणों से कोष विचलन की भी समस्या रही एवं नियंत्रक पदाधिकारियों की अस्थिरता भी विलम्ब का कारण बना। वर्तमान में स्थायी माननीय कुलपति का आगमन हुआ है, जिनके निर्देशानुसार कई चरणों में परीक्षा आयोजन हेतु विभिन्न प्रक्कल्पों की तैयारी आरम्भ कर दी गयी है, विश्वविद्यालय में तैयार की गयी Academic Calendar एवं Examination Calendar के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन तदनुसार परीक्षाफल इत्यादि कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया जा रहा है। ताकि सत्र नियमित किया जा सके, जिससे छात्र एवं विश्वविद्यालय दोनों सुरक्षित रहें, विश्वविद्यालय प्रशासन का एक–एक सम्भाग छात्र हित में समर्पण भाव से कार्य कर रही है, और बार–बार छात्र हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दुहराती है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में विस्तृत विवरणी एवं सारणी के साथ निदेशक उच्च शिक्षा, पटना कार्यालय में पत्रांक– CEO/263/23 दिनांक 31/01/2023 द्वारा सूचना प्रेषित है।

विश्वासभाजन

परीक्षा नियंत्रक
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

परीक्षा नियंत्रक
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

MAGADH UNIVERSITY

BODH-GAYA – 824234
(Examination Department)

पत्रांक–CEO/263/23 दिनांक: 31/01/2023

सेवा में,

प्रो० (डॉ०) रेखा कुमारी,
निदेशक, उच्च शिक्षा
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

द्वारा:– कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

विषयः पत्रांक– 14/एम 7–279/2009–164 पटना दिनांक 25.01.2023 के आलोक में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध (पी०एच०डी०), सत्रों के संबंध में वांछित सूचना प्रेषण के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक, तदनुसार उपलब्ध प्रपत्र में वांछित सूचना तैयार कर कार्य व्यवहारार्थ प्रेषित की जा रही है, साथ ही शोध (पी०एच०डी०), संबंधित ब्योरा प्रभारी पी०एच०डी० के माध्यम से पत्रांक– 46/2023 दिनांक– 31.01.2023 द्वारा उपलब्ध, संलग्न है।

स्वीकार करने की कृपा की जाय।

31/1/23

परीक्षा नियंत्रक
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

31/1/23

Magadh University, Bodh-Gaya

Name of the Course: B.A./B.Com/B.Sc.

Status of Examination/Result for Under Graduate Course

(Fill Up this sheet separately for each faculty :- B.A./B.Sc./B.Com)

SL No.	Session	Part	Date of commencement of Exam (if already held)	Proposed date of commencement of exam (if exam not held)	Date of publication of result (if result already published)	Proposed date of publication of result (if result not published)
1	2017-20	Part-I	26/06/2019		16/09/2019	
		Part-II	29/11/2019		20/02/2020	
		Part-III	1/12/2020		31/12/2020	
2	2018-21	Part-I	12/1/2021		10/3/2021	
		Part-II	1/10/2021		20/01/2023	
		Part-III		1st week of March-2023		Within one month after completion of Exam.
3	2019-22	Part-I	4/10/2021		20/01/2023	Within one month after completion of Exam.
		Part-II		Last week of March-2023		Within one month after completion of Exam.
		Part-III		Last week of June-2023		Within one month after completion of Exam.
4	2020-23	Part-I		1st week of April- 2023		Within one month after completion of Exam.
		Part-II		Last week of July-2023		Within one month after completion of Exam.
		Part-III		1st week of Oct.- 2023		Within one month after completion of Exam.
5	2021-24	Part-I		1st Week of July- 2023		Within one month after completion of Exam.
		Part-II		2nd Week of Nov.- 2023		Within one month after completion of Exam.
		Part-III		1st Week of April - 2024		Within one month after completion of Exam.
6	2022-25	Part-I		1st Week of Sept.- 2023		Within one month after completion of Exam.
		Part-II		2nd Week of May- 2024		Within one month after completion of Exam.
		Part-III		3rd Week of Apil- 2025		Within one month after completion of Exam.

18

Controller of Examinations
Magadh University, Bodh-Gaya

Magadh University, Bodh-Gaya

Name of the Course: M.A./M.Sc./M.Com

Status of Examination / Result for Post Graduate

(Fill Up this sheet separately for each P.G. Subject)

Sl. No.	Session	Part	Date of commencement of Exam (if already held)	Proposed date of commencement of exam (if exam not held)	Date of publication of result (if result already published)	Proposed date of publication of result (if result not published)
1	2018-20	Sem. - I	16/12/2020		31/12/2020	
		Sem.-II	7/4/2021		16/08/2021	
		Sem-III		2nd Week of March- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem. -IV		2nd Week of May- 2023		Within One Month after completion of Exam.
2	2019-21	Sem. - I		2nd Week of March- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem.-II		2nd Week of May- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem-III		Last Week of July- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem. -IV		Last Week of Oct.- 2023		Within One Month after completion of Exam.
3	2020-22	Sem. - I		2nd Week of March- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem.-II		2nd Week of May- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem-III		Last Week of July- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem. -IV		Last Week of Oct.- 2023		Within One Month after completion of Exam.
4	2021-23	Sem. - I	Admission not done			
		Sem.-II				
		Sem-III				
		Sem. -IV				
5	2022-24	Sem. - I	Admission not done			
		Sem.-II				
		Sem-III				
		Sem. -IV				
6	2023-25	Sem. - I	Admission not done			
		Sem.-II				
		Sem-III				
		Sem. -IV				

Controller of Examinations
Magadh University, Bodh-Gaya

Magadh University, Bodh-Gaya

Name of the Course: B.Ed. Course

Status of Examination / Result for Post Graduate

(Fill Up this sheet separately for each Professional Courses)

Sl. No.	Session	Part	Date of commencement of Exam (if already held)	Proposed date of commencement of exam (if exam not held)	Date of publication of result (if result already published)	Proposed date of publication of result (if result not published)
1	2018-20	1st Year	29/07/2019		15/09/2020	
		2nd Year	2/8/2021		15/06/2021	
2	2019-21	1st Year	2/3/2021		15/06/2021	
		2nd Year	18/12/2021		24/07/2022	
3	2020-22	1st Year	18/12/2021		25/01/2023	
		2nd Year		Last week of March - 2023		Within One Month after completion of Exam.
4	2021-23	1st Year		Last week of March - 2023		Within One Month after completion of Exam.
		2nd Year		Last week of June - 2023		Within One Month after completion of Exam.
5	2022-24	1st Year		Last week of June - 2023		Within One Month after completion of Exam.
		2nd Year		Last week of May- 2024		Within One Month after completion of Exam.
6	2023-25	1st Year	Admission not done			
		2nd Year				

Controller of Examinations
Magadh University, Bodh-Gaya

Magadh University, Bodh-Gaya

Name of the Course: (B.C.A./B.B.M./B.B.A./B.A.S.P.M./B.Sc.IT/EWS/Bio-Tech. etc.)

Status of Examination /Result for Under Graduate

(Fill Up this sheet separately for each Vocational / Professional Courses)

Sl. No.	Session	Part	Date of commencement of Exam (if already held)	Proposed date of commencement of exam (if exam not held)	Date of publication of result (if result already published)	Proposed date of publication of result (if result not published)
1	2017-20	Part-I	7/5/2019		26/07/2019	
		Part-II	26/11/2019		4/2/2020	
		Part-III	Nov.-2020		31/12/2020	
2	2018-21	Part-I	26/11/2019		4/2/2020	
		Part-II	02/03/2021		31/07/2021	
		Part-III	14/03/2022		5/8/2022	
3	2019-22	Part-I	02/03/2021		31/07/2021	
		Part-II		1st week of March-2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-III		Last Week of June- 2023		Within One Month after completion of Exam.
4	2020-23	Part-I		1st week of March-2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-II		Last Week of June- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-III		Sept.-2023		Within One Month after completion of Exam.
5	2021-24	Part-I		1st week of March-2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-II		Last Week of June- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-III		Last Week of May- 2024		Within One Month after completion of Exam.
6	2022-25	Part-I		Last week of May-2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-II		1st week of May-2024		Within One Month after completion of Exam.
		Part-III		Last Week of May- 2025		Within One Month after completion of Exam.

Controller of Examinations
Magadh University, Bodh-Gaya

Magadh University, Bodh-Gaya

Name of the Course: B.Pharma

Status of Examination / Result for Under Graduate

(Fill up this sheet separately for each Vocational / Professional Courses)

Sl. No.	Session	Part	Date of commencement of Exam (if already held)	Proposed date of commencement of exam (if exam not held)	Date of publication of result (if result already published)	Proposed date of publication of result (if result not published)
1	2018-22	Part-I	May-2019		16/08/2019	
		Part-II	03/10/2020		19/02/2021	
		Part-III	16/09/2021		15/02/2022	
		Part-IV		Last week of Feb.2023		Within One Month after completion of Exam.
2	2019-23	Part-I	03/10/2020		19/03/2021	
		Part-II	16/09/2021		15/02/2022	
		Part-III		Last week of Feb 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-IV		Last week of Jun-2023		Within One Month after completion of Exam.
3	2020-24	Part-I	16/09/2021		15/02/2022	
		Part-II		Last week of Feb 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-III		Last week of May-2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-IV		Last week of May-2024		Within One Month after completion of Exam.
4	2021-25	Part-I		Last week of Feb 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-II		Last week of May-2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-III		Last week of May-2024		Within One Month after completion of Exam.
		Part-IV		Last week of May-2025		Within One Month after completion of Exam.
5	2022-26	Part-I		Last week of May-2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-II		Last week of May-2024		Within One Month after completion of Exam.
		Part-III		Last week of May-2025		Within One Month after completion of Exam.
		Part-IV		Last week of May-2026		Within One Month after completion of Exam.

3/1/23

Controller of Examinations
Magadh University, Bodh-Gaya

Magadh University, Bodh-Gaya

Name of the Course: Bachelor of Law (3 Yrs.)

Status of Examination / Result for Under Graduate

(Fill Up this sheet separately for each Vocational / Professional Courses)

Sl. No.	Session	Part	Date of commencement of Exam (if already held)	Proposed date of commencement of exam (if exam not held)	Date of publication of result (if result already published)	Proposed date of publication of result (if result not published)
1	2017-20	Part-I	Nov.-2018		11/5/2019	
		Part-II	Aug-19		17/12/2019	
		Part-III	Nov.-2020		15/02/2021	
2	2018-21	Part-I	Aug-19		7/12/2019	
		Part-II	Nov.-2020		15/02/2021	
		Part-III	27/09/2021		9/3/2022	
3	2019-22	Part-I	Nov.-2020		15/02/2021	
		Part-II	27/09/2021		9/3/2022	
		Part-III	Sept. -2022		9/12/2022	
4	2020-23	Part-I	27/09/2021		09/03/2022	
		Part-II	Sept. -2022		09/12/2022	
		Part-III		Last Week of May- 2023		Within One Month after completion of Exam.
5	2021-24	Part-I		Last week of March-2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-II		Last Week of May- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-III		Last Week of May- 2024		Within One Month after completion of Exam.
6	2022-25	Part-I		Last week of May-2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-II		Last Week of May- 2024		Within One Month after completion of Exam.
		Part-III		Last Week of May- 2025		Within One Month after completion of Exam.

Controller of Examinations
Magadh University, Bodh-Gaya

Magadh University, Bodh-Gaya

Name of the Course: Bachelor of Law (5 Year)

Status of Examination / Result for Under Graduate

(Fill Up this sheet separately for each Vocational / Professional Courses)

Sl. No.	Session	Part	Date of commencement of Exam (if already held)	Proposed date of commencement of exam (if exam not held)	Date of publication of result (if result already published)	Proposed date of publication of result (if result not published)
1	2017-22	Part-I	Nov.-2018		11/5/2019	
		Part-II	Aug.-2019		7/12/2019	
		Part-III	Nov.-2020		15/02/2021	
		Part-IV	27/09/2021		9/3/2022	
		Part-V	Sept. -2022		9/12/2022	
2	2018-23	Part-I	Aug.-2019		07/12/2019	
		Part-II	Nov.-2020		15/02/2021	
		Part-III	27/09/2021		09/03/2022	
		Part-IV	Sept. -2022		09/12/2022	
		Part-V		Last week of May- 2023		Within One Month after completion of Exam.
3	2019-24	Part-I	Nov.-2020		15/02/2021	
		Part-II	27/09/2021		09/03/2022	
		Part-III	Sept. -2022		09/12/2022	
		Part-IV		Last week of May- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-V		Last Week of May- 2024		Within One Month after completion of Exam.
4	2020-25	Part-I	27/09/2021		09/03/2022	
		Part-II	Sept. -2022		09/12/2022	
		Part-III		Last week of May- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-IV		Last Week of May- 2024		Within One Month after completion of Exam.
		Part-V		Last Week of May- 2025		Within One Month after completion of Exam.
5	2021-26	Part-I		Last week of March-2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-II		Last week of May- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-III		Last Week of May- 2024		Within One Month after completion of Exam.
		Part-IV		Last Week of May- 2025		Within One Month after completion of Exam.
		Part-V		Last Week of May- 2026		Within One Month after completion of Exam.
6	2022-27	Part-I		Last week of May- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Part-II		Last Week of May- 2024		Within One Month after completion of Exam.
		Part-III		Last Week of May 2025		Within One Month after completion of Exam.
		Part-IV		Last Week of May- 2026		Within One Month after completion of Exam.
		Part-V		Last Week of May 2027		Within One Month after completion of Exam.

Controller of Examinations
Magadh University, Bodh-Gaya

Magadh University, Bodh-Gaya

Name of the Course:- (M.B.A./M.Sc. IT/M.Sc. Comp. Sc./M.C.A.)

Status of Examination / Result for Post Graduate

(Fill Up this sheet separately for each P.G. Subject)

Sl. No.	Session	Part	Date of commencement of Exam (if already held)	Proposed date of commencement of exam (if exam not held)	Date of publication of result (if result already published)	Proposed date of publication of result (if result not published)
1	2018-20 & 2018-21	(Sem) - I	13/09/2019		18/01/2020	
		(Sem)-II	Oct. - 2020		1/2/2021	
		(Sem)-III	28/10/2021		5/8/2022	
		(Sem)-IV		2nd week of Feb.- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-V (only MCA)		Last week of May-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-VI (only MCA)		Last week of Sept.-2023		Within One Month after completion of Exam.
2	2019-21 & 2019-22	(Sem) - I	27/10/2021		5/8/2022	
		(Sem)-II		2nd week of Feb.- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-III		Last week of May-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-IV		Last week of Sept.-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-V (only MCA)		Last week of Dec.-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-VI (only MCA)		Last week of Feb.-2024		Within One Month after completion of Exam.
3	2020-22 & 2020-23	(Sem) - I		Last week of Feb.-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-II		Last week of May-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-III		Last week of Sept.-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-IV		Last week of Dec.-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-V (only MCA)		Last week of Feb.-2024		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-VI (only MCA)		Last week of June-2024		Within One Month after completion of Exam.
4	2021-23 & 2021-24	(Sem) - I		Last week of Feb.-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-II		Last week of May-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-III		Last week of Sept.-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-IV		Last week of Dec.-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-V (only MCA)		Last week of Feb.-2024		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-VI (only MCA)		Last week of June-2024		Within One Month after completion of Exam.
5	2022-24 & 2022-25	(Sem) - I		Last week of May-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-II		Last week of Sept.-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-III		Last week of Dec.-2023		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-IV		Last week of May-2024		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-V (only MCA)		Last week of Dec.-2024		Within One Month after completion of Exam.
		(Sem)-VI (only MCA)		Last week of June-2025		Within One Month after completion of Exam.

Controller of Examinations
Magadh University, Bodh-Gaya

Magadh University, Bodh-Gaya

Name of the Course: Bachelor of Library Science (1 Year)

Status of Examination /Result for Under Graduate

(Fill Up this sheet separately for each Professional Courses)

Sl. No.	Session	Part	Date of commencement of Exam (if already held)	Proposed date of commencement of exam (if exam not held)	Date of publication of result (if result already published)	Proposed date of publication of result (if result not published)
1	2018-19	One Year	June.-2019		27/08/2019	
2	2019-20	One Year	23/09/2020		3/1/2021	
3	2020-21	One Year	Oct. - 2021		30/7/2022	
4	2021-22	One Year		Last week of March-2023		Within One Month after completion of Exam.
5	2022-23	One Year	Admission not done			

Magadh University, Bodh-Gaya

Name of the Course: Master of Library Science (1 Year)

Status of Examination /Result for Post Graduate

(Fill Up this sheet separately for each Professional Courses)

Sl. No.	Session	Part	Date of commencement of Exam (if already held)	Proposed date of commencement of exam (if exam not held)	Date of publication of result (if result already published)	Proposed date of publication of result (if result not published)
1	2018-19	One Year	June.-2019		27/08/2019	
2	2019-20	One Year	23/09/2020		3/1/2021	
3	2020-21	One Year	Oct. - 2021		30/7/2022	
4	2021-22	One Year		Last week of March-2023		Within One Month after completion of Exam.
5	2022-23	One Year	Admission not done			

Controller of Examinations
Magadh University, Bodh-Gaya

Magadh University, Bodh-Gaya

Name of the Course: Master of Education (2 Yrs.)

Status of Examination / Result for Post Graduate

(Fill Up this sheet separately for each Professional Courses)

Sl. No.	Session	Part	Date of commencement of Exam (if already held)	Proposed date of commencement of exam (if exam not held)	Date of publication of result (if result already published)	Proposed date of publication of result (if result not published)
1	2018-20	Sem. - I	Oct-2019		20/02/2020	
		Sem.-II	Feb.-2020		10/12/2020	
		Sem-III	16/10/2020		24/02/2021	
		Sem. -IV	28/10/2021		14/08/2022	
2	2019-21	Sem. - I	5/2/2020		10/12/2021	
		Sem.-II	16/10/2020		24/02/2021	
		Sem-III	28/10/2021		14/08/2022	
		Sem. -IV		Last Week of March- 2023		Within One Month after completion of Exam.
3	2020-22	Sem. - I	28/10/2021		14/08/2022	
		Sem.-II		Last Week of March- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem-III		Last Week of July- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem. -IV		Last Week of Oct.- 2023		Within One Month after completion of Exam.
4	2021-23	Sem. - I		Last Week of March- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem.-II		Last Week of July- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem-III		Last Week of Oct.- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem. -IV		Last Week of Dec.- 2023		Within One Month after completion of Exam.
5	2022-24	Sem. - I		Last Week of July- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem.-II		Last Week of Oct.- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem-III		Last Week of Dec.- 2023		Within One Month after completion of Exam.
		Sem. -IV		Last Week of May- 2024		Within One Month after completion of Exam.
6	2023-25	Sem. - I	Admission not done			
		Sem.-II				
		Sem-III				
		Sem. -IV				

2/1/23

Controller of Examinations
Magadh University, Bodh-Gaya

27

परिशिष्ट-5

PART I : ACTS, RULES, REGULATIONS

THE BIHAR STATE UNIVERSITIES ACT, 1976

[BIHAR ACT XXIII OF 1976][1]

AN ACT

To establish and incorporate Affiliating-cum-Teaching Universities at Muzaffarpur, Bhagalpur, Ranchi, Gaya (Bodhgaya) and Darbhanga in the State of Bihar.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the twenty-seventh year of the Republic of India as follows :-

[*Comments.*—This Act has undergone various changes from time to time. While some amendments have been brought by the Act of Legislature, many amendments were introduced through Ordinances and continued for a long period, before being given the shape of an Act of Legislature. Reference may be made to Amending Acts 68 of 1982, 3 of 1990, 9 of 1992, 17 of 1993, 12 of 1995, 16 of 1996, 8 of 1998 & 14 of 1998, while some of the Amending Acts were in both, Hindi and English languages, some of them were published only in Hindi, since some of the Ordinances preceding such Acts as were published only in Hindi. Where having both the texts Hindi and English, by comparing the Hindi text of the Act with the Hindi text of the Ordinance English text could be extracted, where the two Hindi texts tallied exactly or involved minor translation. But where the two texts did not tally, Hindi version of the amendment has been incorporated.]

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Universities Act, 1976.

(2) It shall come into force atonce.

2. Definitions.— In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(a) "annual meeting" means one of the meetings of the Senate to be held every year under sub-section (1) of section 18 and declared by the statutes to be the annual meeting of the Senate;

(b) "autonomous institution" means any institution declared as such under this Act and includes a College also;

(c) "affiliated College" means educational institution having received privileges of the University according to the provisions of this Act and University Statutes relating thereto;

(d) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(e) "Chancellor" means the Chancellor of the University;

[2][(f) 'College' means an institution maintained or controlled by the University or maintained by the State Government in which instruction is given subject to the provisions contained in clause (16) of section 4 to the students of the University up to or below the post-graduate standard under conditions prescribed in the Statutes:]

[3][Provided that till separate arragement is made for Intermediate Education, teaching of this standard also shall continue to be

---

1. Published in Bihar Gazette (ex-ord.) dated 16-5-1977.
2. Subs. by Act 3 of 1990.
3. Subs. by Act 68 of 1982.

(ड) मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय पटना में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगी;

परन्तु राज्य सरकार राजकीय गजट में इस विश्वविद्यालय के कृत्य, क्रियाकलाप का विस्तार एवं अन्य कार्यों को निर्धारित कर सकेगी।

(2) The first Chancellor or the first Vice-Chancellor, first member of the Senate, the Syndicate and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members and so long as they continue to hold such office or membership shall together constitute a body corporate by the name of the University specified in sub-section (1).

(3) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(4) No educational institution beyond the territorial jurisdiction of the University, shall except by an order of the State Government published in the official gazette, form a part of or be admitted to the privileges of the University. And no such institution within the said territorial jurisdiction shall similarly form part of or be recognised by or seek admission to any privileges of any other University incorporated by law in India, and any such recognition granted by any such other University to any such institution within the said territorial jurisdiction prior to the commencement of this Act shall be deemed to have been withdrawn on the commencement of this Act."

However it may be noticed that while all the sections of Amendment Act 3 of 1990 were inforced from 3.1.1990 as section 3 was to come into force from a date to be notified. This section was again substituted by Act 9 of 1992.

4. Purposes and powers of the University.—(1) There shall be the following purposes and powers of the University :–

(1)(a) to provide for imparting instruction in such branches of learning as the University may think fit including professional studies and technology; and

(b) to provide for research and for the advancement and dissemination of knowledge.

(2) to conduct examinations and to grant and confer degrees, diploma, certificate and other academic distinctions to and upon persons who–

(a) have pursued an approved course of study in the University and passed the examination of the University, under the conditions laid down in the Statutes, the Ordinances or the Regulation ;

(b) are teachers, librarians and laboratory assistants in educaional institutions or any other persons under such conditions as may be prescribed in the Statutes, the Ordinances and the Regulations and have passed the examination of the University under like conditions; or

(c) have carried on independent research under conditions laid down in the Statutes, the Ordinances or the Regulations ;

[1][Provided that for the said purpose it shall be lawful for the State Government to get the syllabus prescribed, teaching done, examinations conducted and results published upto Prathama and Madhyama standard under the Sanskrit Education Board with effect from the date of notification in the Gazettee.]

(3) to confer honorary degrees or other distinctions upon person approved in the manner prescribed in the Statutes ;

(4) to provide such lectures and instructions for, and to grant such diplomas to, persons not being members of the University, as the University may determine;

(5) to inspect all colleges, University departments and hostels ;

(6) to co-operate with other Universities and authorities in such manner

1. Ins. by Act 68 of 1982.

a...d for such purposes as the University may determine ;

(7) to institute Professorships, Readerships, Lecturerships and any other teaching posts required by the University and to appoint qualified persons to such posts of Professor, Reader, Lecturer and teacher ;

(8) to recognise teachers as qualified to give instruction in Colleges ;

(9) to institute and award fellowships including travelling fellowships, scholarships, exhibition, medals and prizes in accordance with the Statutes, the Ordinances and the Regulations ;

(10) to establish, maintain and manage Colleges and hostels and to recognise Colleges and hostels not maintained by the University ;

(11) to demand and receive fees under the Ordinances ;

(12) to supervise and control the residence and discipline of students of Colleges and the University ;

(13) to make arrangement for promoting the health and general welfare of students and for that purpose to have powers to appoint and constitute such committees as may be prescribed in the Ordinances ;

(14) to enter into agreement with other bodies and persons for promoting the purposes of this Act and to assume the management of any institution under them and to take over its assets and liabilities ;

Provided that before entering into such an agreement the University shall obtain the sanction of the State Government, or shall do so upon receiving such a proposal from the State Government :

Provided further that if at any time any irregularity is found in determination and payment of any pay, special pay or allowances, or in any appointment in an institution taken over by the University in its management under such an agreement, then, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the University shall have the powers to take decisions after reviewing it and such a decision shall be final and binding ;

(15) to hold and manage, subject to conditions and restrictions prescribed by the Statutes, any endowment, bequest, gift or any other transfer of property made to a College for its benefit just before the commencement of this Act or to get it held and managed by such agencies, which were managing the said endowment, bequest, gift or other trust property just before the commencement of this Act;

(16) to undertake the conduct of post–graduate teaching, research and work in departments maintained by the University or the State Government ;

(17) it shall be necessary for the University to arrange and provide for post–graduate teaching in any College at any time and to utilise for the said purposes, the buildings of that College or any portion thereof, and such members of the staff and the articles of furniture,library, books,stores, instruments and other equipments of that College as may be prescribed ;

(18) to centralise the conduct of undergraduate teaching in any subject or subjects with a particular standard and where the University decides to centralise the conduct of such undergraduate teaching, it shall be lawful for the University to arrange and provide for centralised delivery of lectures in such subject or subjects and to utilise the buildings, staff member, furniture, libraries, books, laboratories, stores, instruments and other equipments of one or more College as may be prescribed for that purpose ;

(19) to affiliate or disaffiliate Colleges according to Statutes subject to prior approval of the State Government :

[1][Provided that after the promulgation of Intermediate Education Council Ordinance, 1979, recognition to Intermediate Colleges shall be granted by the Intermediate Education Council;]

(20)to declare, subject to condition as may be prescribed in the Statutes, the existing Colleges or institutes as autonomous College or institute, as the case may be;

(21) to have powers as may be prescribed to constitute or dissolve the administrative body of an affiliated College of the University which is not a Government College ;

(22) to do all such other acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be requisite in order to further the objects of the University as teaching and examining body, and to cultivate and promote arts, science and other branches of learning.

(2) Powers and duties of the Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University.—Subject to conditions imposed by this Act or as provided thereunder, there shall be following powers and duties to the Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University :–

(i) to confer or grant degree, diploma, certificate and other academic distinction in Sanskrit, Pali or Prakrit language or in such other branches of learning, as the University may consider fit:

(ii) to impart instruction in subject and language referred to in clause (i) :

(iii) to organise examination and to confer or grant degree,diploma, certificate and other academic distinction on or to such persons who fulfil the conditions as specified in the Regulations:

(iv) to organise an examination other than the examination referred to in clause (iii) considered fit by the University, to prescribe courses of study therefor and to grant certificates on the basis of examination results thereof :

(v) to confer honorary degrees or other distinction upon persons approved in the manner prescribed in the Statutes:

(vi) to accept the transfer of properties or funds to the University in the form of gift, donation or trust and to use them and keep accounts thereof in accordance with the conditions of gift, donation or trust :

(vii) to demand and receive fees as prescribed by or under this Act or the Statutes :

(viii) to establish the University library according to provisions of the Statutes:

(ix) to conduct post–graduate teaching and research work in University departments, Colleges and institutes :

(x) to create posts for teaching and research work according to needs of the University and to appoint persons on such posts in the manner prescribed by or under this Act :

(xi) to grant fellowships including travelling fellowships, scholarships,

1. Ins. by Act 68 of 1982.

Legislative changes (after 1982)—Second Proviso was added to sub-section (2) of this section by Ordinance 39 of 1986 which continued by successive Ordinances till Act 3 of 1990 was enacted.

30. Holding of examinations.—(1) The examination of the University shall be held from such date, as may be appointed by the State Government by a notification in the official Gazette :

Provided that where the State Government is satisfied that it is not possible to hold examinations in accordance with the said notification, it shall, in consultation with the Vice-Chancellor, appoint revised dates of examinations and the revised dates shall be notified in the official Gazette.

(2) Results of examinations shall be published within sixty days of the completion of the concerned examination, which may be extended to a period beyond sixty days for reasons to be recorded in writing.

[1][(3) Person appointed for invigilation or any other related work in connection with the conduct of college or University examinations shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code, 1860.]

31. The Planning and Evaluation Committee.—(1) There shall be a Planning and Evaluation Committee for the purposes of preparing plan programme of development and improvements of the University and in its courses of study, examining and evaluating, from time to time, the progress achieved in such plans and programmes, testing and evolving new methods of teaching, and for consultation and exchange of informations with similar organisations, other Universities and research institutes for any of these purposes.

(2) The Committee shall consist of the following members :

(a) Vice-Chancellor;

(b) Pro-Vice-Chancellor;

(c) one person to be nominated by the State Government;

(d) three Deans of Faculties to be appointed in the manner as prescribed by the Statutes;

(e) two members of the Syndicate to be nominated by it;

(f) two members of the Academic Council to be nominated by it;

(g) three heads of Departments to be nominated by the Vice-Chancellor every year, by rotation; and

(h) two such members representing academic interests and professions, as may be co-opted by the Committee, either by rotation every year or according to subject or subjects, as may be required.

(3) The Registrar shall act as the Secretary to the Committee.

(4) The term of office of members, other than *ex-officio*-members, shall be of three year's duration, except where otherwise provided.

32. The Research Council.— [2][(1) There shall be a separate Post-Graduate, Research Council in each faculty of the University for the registration and proper guidance of research work which shall work under the general control of the Academic Council.]

(2) The Post-Graduate Research Council shall consist of the following persons :-

(a) the Vice-Chancellor;

---

1. Ins. by Act 69 of 1982.
2. Subs. by ibid.

परिशिष्ट-7

बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक जो दिनांक-08.05.2023 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में सभा सचिवालय स्थिति समिति कक्ष में हुई, की कार्यवाही ।

.....

उपस्थिति:

श्री अजीत शर्मा	सभापति
श्री आबिदुर रहमान	सदस्य
श्री अनिरूद्ध कुमार	सदस्य
श्री प्रेम शंकर प्रसाद	सदस्य
श्रीमती प्रतिमा कुमारी	सदस्या
श्री रामबली सिंह यादव	सदस्य
श्री अरूण कुमार सिन्हा	सदस्य
श्रीमती शालिनी मिश्रा	सदस्या
श्रीमती मीना कुमारी	सदस्या

विभागीय पदाधिकारीगण:

श्री बैधनाथ यादव, सचिव, शिक्षा विभाग

श्री पंकज कुमार, निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग

श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग

श्री अमर भूषण, उन निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग

श्री विनीता, विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग

श्री दीपक कुमार सिंह, उन निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग

श्री शशि प्रताप शाही, कुलपति, मगध विश्वविद्यालय

शिक्षा विभाग

सभापति : बैठक प्रारंभ की जाती है ।

शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्रांक-420, दिनांक-04.05.2023 को समिति के समक्ष रखा गया ।

उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्रांक-549, दिनांक-29.03.2023, पत्रांक-619, दिनांक-19.04.2023 एवं पत्रांक-666, दिनांक-28.04.2023 को समिति के समक्ष रखा गया ।

आप अधिकृत होकर आये हैं, आप बैठक के विषय-वस्तु से भिज्ञ हैं या नहीं ?

सचिव : जी सर, बैठक के विषय-वस्तु से भिज्ञ हूँ ।

सभापति : आपके अंतर्गत कितने बोर्ड/निगम गठित हैं, किस अधिनियम/नियम के तहत गठित हैं ? निगम/बोर्ड का नाम, गठन संबंधी अधिसूचना और संबंधित अधिनियम/नियम की प्रति समिति को उपलब्ध करायें ।

सचिव : सर, हमारे विभाग में विभिन्न प्रकार के जो शासी निकाय या संस्थाएँ हैं वे कुल मिलाकर 44 हैं । सभी जगहों से प्रतिवेदन मंगाकर फार्मेट में देना, मुश्किल है लेकिन अगली बैठक में हम समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध करा देंगे ।

सभापति : निजी विद्यालयों के नामांकन पर विमर्श के दौरान पिछली बार अपर मुख्य सचिव ने स्वीकार किया था कि मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी (डी॰ई॰ओ॰) की है । इस बार मॉनिटरिंग के लिए विभाग और जिला शिक्षा पदाधिकारी (डी॰ई॰ओ॰) द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं और क्या सभी निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन लिये गये ?

सचिव : मॉनिटरिंग करने के लिए हमलोग सॉफ्टवेयर लाने जा रहे हैं । इसके लिए हमलोगों ने एन॰आई॰सी॰ को चुना है । इस पर विस्तृत रूप से हमारे निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) बतायेंगे ।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) : सर, यह अब अंतिम चरण में हैं । एन॰आई॰सी॰ के साथ फॉर्मली डिस्कशन हो गई है, इसका प्रपोजल भी बढ़ा दिया गया है । इस सॉफ्टवेयर में सारा चीज है । इसमें अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अपलाई करेंगे और ऑपशन डालेंगे तो उनको कौन-कौन से विद्यालय में कितनी सीटें हैं, उनके बच्चे को कौन-सा स्कूल एलॉट हुआ है, बच्चों का एटेंडेंस आदि की मॉनिटरिंग की जानकारी मिलेगी ।

सभापति: पिछली बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा था कि मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की है तो उनके द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं और क्या सभी निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन लिया गया है या नहीं ?

सचिव : सर, इससे संबंधित प्रतिवेदन भी अगली बैठक में समिति को उपलब्ध करा देंगे ।

सभापति : इसका मतलब है कि आपलोग रिकॉर्ड नहीं रखते हैं ?

सचिव : सर, सॉफ्टवेयर आ जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी । सारा चीज ऑनलाईन दिख जायेगा ।

सभापति : इस बैठक में कुलपति, मगध विश्वविद्यालय को बुलाया गया है । समिति सत्र में विलम्ब के कारणों को जानकर सदन में विशेष प्रतिवेदन देना चाहती है । आप यह

बतायें कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर में वर्ष 2010 से अब तक प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों ने नामांकन लिया, उनकी परीक्षाएँ कब आयोजित की गई और परीक्षाफल कब प्रकाशित हुआ ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, हमलोगों ने डिटेल में रिपोर्ट भेज दी है । विगत दो-ढाई सालों से कुलपति नहीं होने की वजह से बहुत सारी परीक्षाएँ लंबित हैं लेकिन मैं तीन महीने पहले ही आया हूँ और लगातार पार्ट-2, पार्ट-3, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि पार्ट-1 की परीक्षाएँ ली हैं और मैं खुद उसे मॉनिटर कर रहा हूँ । मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस साल के अंत तक सारी परीक्षाएँ नियमित हो जायेंगी ।

सभापति : मैं पूछ रहा हूँ कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर में वर्ष 2010 से अब तक प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों ने नामांकन लिया, उनकी परीक्षाएँ कब आयोजित की गई और परीक्षाफल कब प्रकाशित हुआ ? आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए । अगर अभी नहीं है तो अगली बैठक में समिति को डिटेल उपलब्ध करा दीजियेगा ।

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : ठीक है, सर ।

सभापति : स्नातक एवं स्नातकोत्तर का सत्र ससमय हो इसके लिए कौन जवाबदेह है । सत्र को ससमय कराने के लिए आपके स्तर से कौन-कौन सी कार्रवाई की गई है ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, हमलोगों ने सरकार को और राजभवन को पत्र भेजा है उसमें लिखा है कि टाईम पीरियड के अंदर हम परीक्षाएँ करवा लेंगे । समिति को भी मैं आश्वस्त करता हूँ कि इस साल के अंत तक हर परीक्षाएँ हो जायेंगी और अगले सत्र से हम बिल्कुल रेगुलर रहेंगे ।

सभापति : स्नातक एवं स्नातकोत्तर का परीक्षाफल देश के अन्य विश्वविद्यालयों के सत्र की तुलना में विलम्ब से प्रकाशित हुआ या ससमय ? समिति को सत्रवार विवरण उपलब्ध करायें ।

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा । जो भी कुलपति आयें वे अपने साथ एजेंसी को लेकर आयें, जब वह हट गए तो वह एजेंसी भी हट गयी, इसी तरह लगातार चलता रहा जिसके कारण एजेंसी को ससमय भुगतान नहीं होने से वे डाटा नहीं देते हैं जिसके कारण रिजल्ट लंबित रहा और समय से परीक्षाफल नहीं निकला । ससमय परीक्षाएँ आयोजित करने और रिजल्ट निकालने के लिए कृत-संकल्पित होना बहुत जरूरी है और मैं परीक्षा आयोजित होने के बाद हर हालत में एक महीने में रिजल्ट देने के लिए कृत-संकल्पित हूँ ।

सभापति : स्नातक एवं स्नातकोत्तर के ऐसे कितने विद्यार्थी देश/विदेश के विश्वविद्यालयों में विलम्ब से परीक्षाफल प्रकाशित होने के कारण नामांकन से वंचित हो गए ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ । यह शर्म की बात है कि टाईम से विद्यार्थियों को डिग्रियाँ नहीं मिल पायी । इन तीन महीनों में मैंने लगभग 25 हजार डिग्रियों पर साईन किया है । अब डिजिटल सिग्नेचर होने जा रहा है जिससे यह होगा कि रिजल्ट के साथ-साथ उसी समय डिग्री भी देने की व्यवस्था की जा रही है ।

सभापति : कितने विद्यार्थी देश/विदेश के विश्वविद्यालयों में विलम्ब से परीक्षाफल प्रकाशित होने के कारण नामांकन से वंचित हो गए ? इसका डिटेल आप समिति को उपलब्ध कराइये ।

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, हम डिटेल समिति को उपलब्ध करा देंगे ।

सभापति : स्नातक एवं स्नातकोत्तर के परीक्षाफल में विलम्ब के कारण कितने विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्टेड तो हुए परन्तु नियुक्ति से वंचित हो गए ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, यह खेद की बात है ।

सभापति : नामांकन एवं नियुक्ति से वंचित होने वाले विद्यार्थियों/ अभिभावकों का कोई आवेदन पत्र आपके विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ है या नहीं, अगर प्राप्त हुआ है तो उस पर कौन-सी कार्रवाई कब-कब की गई है ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, इस टाईप का कोई पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है । अगर मेरे पास कोई भी छात्र आता है जिसकी नौकरी लग गई हो और डिग्री की जरूरत है तो हम उसे उसी दिन डिग्री उपलब्ध करा देते हैं ।

सभापति : शोध (Ph.D) के लिए पी॰जी॰आर॰सी॰ की बैठक कब-कब हुई और विश्वविद्यालय द्वारा बैठक के प्रतिवेदन पर कब सहमति प्रदान की गयी ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, पी॰जी॰आर॰सी॰ की बैठक पिछले तीन सालों से नहीं हुई है लेकिन हमने कार्य संभालने के साथ ही बैठक की है ।

सभापति : शोध (Ph.D) का रजिस्ट्रेशन लेटर शोधार्थियों को ससमय उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी किसकी है, सत्र ससमय हो इसके लिए कौन जवाबदेह है, सत्र को ससमय कराने के लिए आपके स्तर पर कौन-कौन सी कार्रवाई की गई है ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, सत्रों को नियमित करने के लिए दृढ़ इच्छा की आवश्यकता है और मैं संकल्पित हूँ । मैं समिति वचन देता हूँ कि सारी परीक्षाएँ नियमित रूप से ससमय होगी, टाईम फ्रेम के अंदर हर हालत में रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जायेगा । सारी परीक्षाएँ अगले साल तक नियमित हो जायेंगी ।

सभापति : यह भी आप स्पष्ट करें कि पी॰जी॰आर॰सी॰ की बैठक दिनांक-09.05.2022 को हुई और उस बैठक से संबंधित मार्गदर्शन की माँग दिनांक-17.10.2022 को की गई । कुलपति का मार्गदर्शन संबंधी पत्र पर दिनांक-24.09.2022 को हस्ताक्षर है जिसे

लगभग एक महीने के बाद दिनांक-17.10.2022 को निर्गत किया गया है । इस पर आपका क्या कहना है ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, इसको मैंने देखा नहीं है । इस पर समिति को लिखित जवाब भेज देंगे ।

सभापति : समिति ने वर्ष 2010 से मांगा था लेकिन मगध विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन में वर्ष 2020 और उसके बाद के सत्रों के विलम्ब के कारणों का उल्लेख किया गया है जिसके कारणों में कोविड-19, स्टेट विजिलेंस यूनिट द्वारा जारी अनुसंधान, प्रभारी कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की निष्क्रियता बतायी गयी है ।

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, कोई बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि क्या स्थिति थी। हमें बीमार और अपंग सिस्टम मिला है । हम इसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं । पूरी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है, मैं सारी जानकारी लेकर एक सप्ताह के अंदर समिति को पत्र के माध्यम से अवगत करा दूंगा ।

सभापति : परीक्षा का ससमय संचालन करने के लिए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होती है । परीक्षा नियंत्रक द्वारा क्या-क्या पहल की गयी है ? यह विवरण दें ।

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, लिखित में विवरण मेरे पास नहीं है लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि परीक्षा नियंत्रक इतने इफिसियेंट व्यक्ति हैं और बहुत ईमानदार है। वे सातों दिन और छुट्टियों में भी 11 बजे रात तक रहकर काम कर रहे हैं । हाँ, डिग्री डिस्ट्रिब्यूशन में कुछ गड़बड़ी है ।

सभापति : प्रतिवेदन में कहा गया है कि परीक्षा पूरी होने के एक माह के अंदर रिजल्ट निकाला जायेगा । पहले की परीक्षाओं का रिजल्ट तीन-तीन, चार-चार महीने के बाद प्रकाशित हुआ है तो एक माह के अंदर रिजल्ट निकाले जाने के लिए क्या कोई नई तकनीक/आधारभूत संरचना विकसित की गयी है ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, मैंने बताया कि दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए । सिस्टम में गड़बड़ी थी उसको हम सही करेंगे ।

सभापति : वर्ष 2021 के पूर्व के शोध (Ph.D) के शोधार्थियों को रजिस्ट्रेशन लेटर मिला या नहीं ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, इसकी जानकारी लेकर हम समिति को अवगत करा देंगे ।

सभापति : प्रतिवेदन में दिया गया है कि स्नातकोत्तर में सत्र 2021-23, 2022-24 एवं 2023-25 के लिए एडमिशन नहीं हुआ है । इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? मगध विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बच्चे यदि बाहर जाने के लिए विवश हुए हैं और उन पर आवश्यक आर्थिक भार पड़ा है तो इसकी जिम्मेवारी किनकी बनती है ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, यह जिम्मेवारी कुलपति की है । मैं मानता हूँ कि समय पर निर्णय नहीं लिया गया, सिर्फ टाईम पास किया गया है, यह एक प्रकार का अपराध है । मगध विश्वविद्यालय में छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है । इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे दुख की बात यह है कि वोकेशनल कोर्स में गरीबों के बच्चें पढ़तें हैं उसको बिना किसी आदेश के बंद कर दिया गया था उसको हमलोगों ने शुरू कर दिया है ।

सभापति : माइग्रेशन या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट सहित अन्य प्रमाण-पत्रों की कॉपी विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन, ऑनलाईन भुगतान एवं बाई-पोस्ट विद्यार्थियों तक पहुँचाने की व्यवस्था की गयी है या नहीं ?

कुलपति, मगध विश्वविद्यालय : सर, अभी तक नहीं है लेकिन इस सत्र से हम इसे शुरू करने जा रहे हैं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : मैं शिक्षा विभाग के सचिव महोदय से प्रश्न पूछना चाहूँगी कि मगध विश्वविद्यालय के संबंध में जो 10 बिन्दुओं का आपने उत्तर दिया है, उसी तरह की स्थिति कमोबेश हर विश्वविद्यालयों की है । मिथिला विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय की भी रिपोर्ट आप अगली बैठक में समिति को उपलब्ध करायें कि वहाँ की स्थिति क्या है ?

सचिव : सत्र रेगुलर हो इसके लिए विभाग में प्रयास किया जा रहा है और विगत वर्षों से जो स्थिति रही है खासकर उसके लिए विभाग में एक हाई लेवल बैठक माननीय मंत्री स्तर पर हुई थी जिसमें नामांकन, सत्र को रेगुलराईज करने आदि विषयों पर बात हुई और उसके लिए टाईमफ्रेम तैयार किया गया है । इसके अलावा अपर मुख्य सचिव स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : आपने क्या टाईमफ्रेम बनाया है, वह भी समिति को उपलब्ध करायें ।

सचिव : मैडम, वह सैद्धांतिक पार्ट है ।

श्री रामबली सिंह यादव : एक दिन हम विद्यालय में घूमने गये तो मैंने देखा कि बच्चों की संख्या बहुत कम है और मुझे लोगों से इसका कारण पता चला । उन्होंने बताया कि जिस समय में विद्यालय चलता है उसी समय कोचिंग भी चलाया जा रहा है । कोचिंग को विद्यालय के समय में संचालित नहीं किया जाना चाहिए ।

सचिव : पूर्व में भी इस संबंध में डायरेक्शन दिया गया है । फिर से उस डायरेक्शन को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लागू करने के लिए कहेंगे ।

सभापति : विश्वविद्यालयों में सत्र विलम्ब के कारणों एवं उसके उपाय से संबंधित विशेष प्रतिवेदन आगामी सत्र में देना है । मगध विश्वविद्यालय को एक मॉडल के तौर पर समिति ने चयन किया है । इसलिए आज की बैठक में मगध विश्वविद्यालय से

संबंधित जो प्रश्न उपस्थित कुलपति से पूछे गए हैं उन बिन्दुओं पर पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर विभाग एवं कुलपति से उत्तर प्राप्त किया जाय ।

तत्पश्चात् बैठक स्थगित हुई ।

वीरेन्द्र जौहरी
09/05/2023

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-प्र०वि०स०-25/21- 1680 /वि०स० ।

प्रेषक,

अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ।
कुलपति,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया ।

पटना, दिनांक- 19/05/2023

विषयः- संविधान या विधान मंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, विधि, उपविधि आदि बनाने में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के सम्परीक्षण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक दिनांक-08.05.2023 को शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में समिति ने निर्णय लिया है कि राज्य के विश्वविद्यायों में सत्र विलम्ब के कारणों एवं उसके उपाय से संबंधित विशेष प्रतिवेदन तैयार कर सदन में प्रस्तुत किया जाय । इसी क्रम में समिति ने राज्य के मगध विश्वविद्यालय को एक मॉडल के तौर पर चयन किया है । उक्त बैठक में उपस्थित मगध विश्वविद्यालय के कुलपति से निम्नांकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन की अपेक्षा की है:-

(1) स्नातक (U.G) एवं स्नातकोत्तर (P.G) में वर्ष 2010 से अब तक प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों ने नामांकन लिया, उनकी परीक्षाएँ कब आयोजित की गई और परीक्षाफल कब प्रकाशित हुआ ?

(2) स्नातक (U.G) एवं स्नातकोत्तर (P.G) का सत्र ससमय हो इसके लिए कौन जवाबदेह है, सत्र को ससमय कराने के लिए आपके स्तर पर कौन-कौन सी कार्रवाई की गई है ?

(3) स्नातक (U.G) एवं स्नातकोत्तर (P.G) का परीक्षाफल देश के अन्य विश्वविद्यालयों के सत्र की तुलना में विलम्ब से प्रकाशित हुआ या ससमय ? समिति को सत्रवार विवरण उपलब्ध करायें ।

(4) स्नातक (U.G) एवं स्नातकोत्तर (P.G) के ऐसे कितने विद्यार्थी देश / विदेश के विश्वविद्यालयों में विलम्ब से परीक्षाफल प्रकाशित होने के कारण नामांकन से वंचित हो गए ?

(5) स्नातक (U.G) एवं स्नातकोत्तर (P.G) के परीक्षाफल में विलम्ब के कारण कितने विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्टेड तो हुए परंतु नियुक्ति से वंचित हो गए ?

(6) नामांकन एवं नियुक्ति से वंचित होने वाले विद्यार्थियों / अभिभावकों का कोई आवेदन पत्र आपके विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ है या नहीं, अगर प्राप्त हुआ है तो उस पर कौन-सी कार्रवाई कब-कब की गई है ?

(7) शोध (P.H.D) के लिए पी०जी०आर०सी० की बैठक कब-कब हुई और विश्वविद्यालय द्वारा बैठक के प्रतिवेदन पर कब सहमति प्रदान की गयी ?

(8) शोध (P.H.D) का रजिस्ट्रेशन लेटर शोधार्थियों को ससमय उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी किसकी है, सत्र ससमय हो इसके लिए कौन जवाबदेह है, सत्र को ससमय कराने के लिए आपके स्तर पर कौन-कौन सी कार्रवाई की गई है ?

(9) पी०जी०आर०सी० की बैठक दिनांक 09.05.2022 को हुई और उस बैठक से संबंधित मार्गदर्शन की माँग 17.10.2022 को की गई । कुलपति का मार्गदर्शन संबंधी पत्र पर दिनांक 24.09.2022 को हस्ताक्षर है जिसे लगभग एक महीने के बाद दिनांक 17.10.2022 को निर्गत किया गया है । इस पर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ।

(10) समिति ने वर्ष 2010 से माँगा था लेकिन मगध विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन में वर्ष 2020 और उसके बाद के सत्रों के विलम्ब के कारणों का उल्लेख किया गया है जिसके कारणों में कोविड-19, स्टेट विजिलेंस यूनिट द्वारा जारी अनुसंधन, प्रभारी कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की निष्क्रयता बतायी गयी है । परीक्षा का ससमय संचालन करने के लिए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होती है । परीक्षा नियंत्रक द्वारा क्या-क्या पहल की गयी है ?

(11) प्रतिवेदन में कहा गया है कि परीक्षा पूरी होने के एक माह के अंदर रिजल्ट निकाला जायेगा । पहले की परीक्षाओं का रिजल्ट तीन-तीन, चार-चार महीने के बाद प्रकाशित हुआ है तो एक माह के अंदर रिजल्ट निकाले जाने के लिए क्या कोई नई तकनीक / आधारभूत संरचना विकसित की गयी है ?

(12) वर्ष 2021 के पूर्व के (P.H.D) के शोधार्थियों को रजिस्ट्रेशन लेटर मिला या नहीं ?

(13) प्रतिवेदन में दिया गया है कि स्नातकोत्तर में सत्र 2021-23, 2022-24 एवं 2023-25 के लिए एडमिशन नहीं हुआ है । इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं ? मगध विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बच्चे यदि बाहर जाने के लिए विवश हुए हैं और उन पर आवश्यक आर्थिक भार पड़ा है तो इसकी जिम्मेवारी किनकी बनती है ?

(14) माइग्रेशन या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट सहित अन्य प्रमाण-पत्रों की कॉपी विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन, ऑनलाईन भुगतान एवं बाई-पोस्ट विद्यार्थियों तक पहुँचाने की व्यवस्था की गयी है या नहीं ?

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन चौदह प्रतियों में समिति के विचारार्थ पत्र प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(अमलेन्द्र प्रसाद महतो)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
1?.5.23

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023